# कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–.....2350........./ दिनांकः–..19...11.........2020

## अल्पकालीन निविदा सूचना
## RCC दुकान

रांची पहाडी मंदिर के समीप निर्मित कुल 13 दुकानों मे से दुकान संख्या 8 का मासिक किराये पर आवंटित करना है। जिसका क्षेत्रफल 120 वर्गफीट है भूमि/दुकान का मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। भूमि/दुकान का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को भूमि/दुकान आवंटित की जायेगी। रांची पहाडी मंदिर के समीप निर्मित दुकान संख्या 8 का डाक की सुरक्षित राशि 13.80/–रू0 प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) जमानत की राशि के रूप में 25,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट **नगर आयुक्त,** रांची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। निविदा आमंत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

| दुकान | क्षेत्रफल (वर्गफीट में) | जमानत की राशि | निविदा प्राप्त करने की तिथि | निविदा निष्पदान की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| रांची पहाडी मंदिर के समीप निर्मित दुकान संख्या 8 | 120 | 25000/–रू0 | दिनांक15.12.2020 अपराहन् 1:00 बजे तक। | दिनांक 15.12.2020 अपराह्न 3:00 बजे |

**नोट–1. आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से आवेदन पत्र 500/–रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता हैं।**

बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्त्तें निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में रांची नगर निगम बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

19/11/2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned with CamScanner

# बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्ते।

1. डाक की सुरक्षित राशि रांची पहाड़ी मंदिर के समीप निर्मित दुकान सं0 8 के लिए 13.80/–रु0 (कर अतिरिक्त) प्रति वर्गफीट प्रतिमाह है।
2. आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2020 से 12.12.2020 तक 500/–रु0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
3. निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
4. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रुप में दुकान के लिए 25,000/–रु0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची के नाम से देय) असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
5. डाक मे सफल निविदादाता को किराया राशि 70% राशि प्रथम किस्त के रुप में उसी दिवस को जमा करना होगा एवं किराया की शेष30% राशि एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा।
6. दुकान वार्षिक अनुज्ञप्ति पर आवंटित/बन्दोबस्ती की जाएगी।
7. निविदा प्रस्ताव में दुकान का स्थान अंकित करना अनिवार्य होगा।
8. डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।
9. सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तीधारी को स्वयं के खर्च पर कराना अनिवार्य होगा।
10. डाक के एक सप्ताह में एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।
11. डाक वक्ता को आवेदन पत्र के साथ जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हॉल्डिंग नं0 एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. दुकान में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।
13. बन्दोबस्त दुकान का अतिक्रमण नही करना होगा।
14. निगम द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का ससमय भुगतान करना होगा।
15. दुकान का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने को स्वतंत्र होगें।
16. ससमय भुगतान नही करने की स्थिति मे 12% सूद के साथ भुगतान करना होगा।
17. मासिक किराया के अतिरिक्त निर्धारित G.S.T की राशि जमा करना होगा।
18. दुकान अनुज्ञप्ति का प्रतिवर्ष नवीकरण कराना होगा।
19. दुकान की अवधि 10 वर्ष की होगी।
20. निगम की अनुमति के बिना किसी प्रकार का फेर–बदल या मरम्मती नही कराना होगा।
21. भविष्य में अनुज्ञप्ति शुल्क में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़े हुए दर पर भुगतान करना होगा।
22. प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाएगी।

Scanned with CamScanner

23. जमानत की राशि बन्दोबस्त की राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त होने एवं बकाया राशि नहीं होने के उपरांत जमानत की राशि वापस कर दिया जाएगा।

24. यदि सफल निविदादाता दुकान छोड़ना चाहे तो 01 वर्ष पश्चात खाली करता है तो 01 माह के पूर्व सूचना देकर उनका जमानत राशि निगम के द्वारा बिना Interest वापस कर दी जाएगी। बशर्ते उनके कोई भी बकाया निगम में न हो। 01 वर्ष के पूर्व दुकान खाली करने पर जमानत की राशि जब्त कर लिया जाएगा।

25. दुकान में किसी तरह का अवैध व्यापार/गलत कृत पाये जाने पर एकरारनामा रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त करते हुए विधि सम्मत् कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

26. जिन प्रतिष्ठानो/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते है। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

19/11/2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned with CamScanner